म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क्र / मंडी / प्रांगण / कार्य योजना / बिन्दु क्र.24 / 1073 भोपाल,दि. 30 / 12 / 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय................(समस्त)

विषयः– प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण में स्थित भूखण्ड / सरंचना के अतिक्रमण के संबध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मंडी / प्रांगण / 46 / 45 / कार्य योजना / बिन्दु क्र.24 / 487--88 दिनांक 31.5.2019

.........00000.........

संदर्भित पत्र द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। मुख्यालय के अधिकारियो के मंडी समितियो के निरीक्षण में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मंडी समितियों के मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में भूखण्ड / सरंचना अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य व्यक्तियो को तत्समय प्रचलित नियमों के अंतर्गत आवंटित नही की गयी है, किन्तु उक्त सरंचनाओ पर उनका अनाधिकृत्य अधिपत्य है। तथा उनसे नियमानुसार कोई राशि प्राप्त नहीं की जा रही है। जिससे मंडी समितियो को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि जिन मंडी समितियों मे भूखण्ड / सरंचना का आवंटन किये बिना अतिक्रमण किया हुआ है। उन्हे म0प्र0 कृषि उपज मंडी समिति (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानो के तहत कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त जिन मंडी समितियों में बिना आवंटन के भूखण्ड / सरंचना का अतिक्रमण किया गया है, उनकी जानकारी मंडी समितियों से प्राप्त कर संभागवार संकलन कर मुख्यालय को 20.01.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र / मंडी / प्रांगण / कार्य योजना / बिन्दु क्र.24 / 1074 भोपाल,दि. 30 / 12 / 2019

प्रतिलिपि,

1. भारसाधक अधिकरी / सचिव कृषि उपज मंडी समिति .... जिला............ (समस्त) की ओर भेजकर लेख है, कि उपरोक्तानुसार जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(40) letter 2019

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में अनाधिकृत अधिपत्य के लिये प्रारूप पत्र।

संभाग का नामः–

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	अनाधिकृत अधिपत्यधारी का नाम	प्रकार भूखण्ड/सरंचना	अनाधिकृत कब्जे का वर्ष	अनाधिकृत कब्जे के समय पदस्थ सचिव का नाम
1	2	3	4	5	6

नोटः– जिन मण्डी समितियों की जानकारी निरंक हो उनको संकलित जानकारी में सम्मिलित नही किया जाये।

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय...........